संख्या-34 /2021/913/30-3-21-11बी/2018

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 24 मार्च, 2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-फिरोजाबाद में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये सारथी हॉल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-740ए/2020-40ए/2013, दिनॉक 12-05-2020 व वित्त नियंत्रक कार्यालय परिहवन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-781ए/2021-40ए/2018, दिनांक 15-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-फिरोजाबाद में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये सारथी हॉल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-141/2018/2910/30-3-2018-11बी/2018, दिनांक 12.10.2018 द्वारा रू0 155.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। तथा द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-115/2019/3534/30-3-2019-11बी/2018, दिनांक 17.09.2019 द्वारा धनराशि रू0 55.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०) द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं लागत हेतु समिति की बैठक दिनांक 29-01-2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 178.59 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके अन्तर की धनराशि रू0 22.69 लाख (रू0 बाईस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-सम्भागीय/सहायक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (सीतापुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, बागपत, औरैया एवं अन्य दो पूर्व निर्मित) में सारथी हाल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" में प्रावधानित धनराशि रू0 300.00 से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2021/913(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- फिरोजाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।